

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 20-06-2025

विषय सूची

- » मैग्ना कार्टा
- » अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग परिसंचरण(AMOC)
- » ईरान-इज़रायल तनाव के बीच तेल की कीमतों में वृद्धि
- » विश्व शरणार्थी दिवस 2025
- » भारत में शराब नियंत्रण पर पुनर्विचार

संक्षिप्त समाचार

- » सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने के लिए ASI अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा
- » सीन नदी
- » भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज(NIXI)
- » शंघाई सहयोग संगठन
- » त्वचा रोगों पर ऐतिहासिक संकल्प क्या है?
- » रिवर्स फ़्लिपिंग
- » ऊर्जा संक्रमण सूचकांक(ETI)
- » एक्सट्रीम हीलियम (EH_e) स्टार्स
- » ऑपरेशन सिंधु

मैग्ना कार्टा

संदर्भ

- मैग्ना कार्टा (लैटिन में “महान चार्टर”) पर 15 जून 1215 को लंदन के पास रन्नीमीड मीडोज में हस्ताक्षर किए गए थे।

ऐतिहासिक संदर्भ और उत्पत्ति (1215)

- 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा इस पर मुहर लगाई गई थी, जब इंग्लिश सामंतों ने राजा की मनमानी शक्ति को सीमित करने के लिए दबाव डाला।
 - ▲ सामंती प्रणाली का भाग होने के कारण, सामंत ज़मीन के धारक थे जो राजा को सैनिक और सैन्य सेवा प्रदान करते थे।
- **तत्काल कारण:** 1214 में फ्रांस के राजा फिलिप द्वितीय से बौवाइन्स की लड़ाई में पराजय।
- **दीर्घकालिक कारणों** में सैन्य असफलताएं (1204 में नॉर्मंडी और एंजू की हानि) और अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए लगाए गए भारी कर शामिल थे।
- **उद्देश्य:** यह प्रथम दस्तावेज़ था जिसने यह सिद्धांत लिखित रूप में रखा कि राजा और उसकी सरकार कानून से ऊपर नहीं हैं।
 - ▲ इसका उद्देश्य राजा की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना था और शाही अधिकार को सीमित करने के लिए कानून को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना था।

चार्टर की सामग्री और सिद्धांत:

- मैग्ना कार्टा में 63 धाराएं थीं, जिनमें 3,500 से अधिक शब्द थे। यह स्थानीय शासन और व्यापक कानूनी सिद्धांतों दोनों से संबंधित था।
- **मुख्य धाराएं:**
 - ▲ **धारा 39:** मनमाने क़ैद के विरुद्ध सुरक्षा — “किसी स्वतंत्र व्यक्ति को बंदी या क़ैद नहीं किया जाएगा... सिवाय उसके समकक्षों के वैध निर्णय या भूमि के कानून द्वारा।”

- ▲ **धारा 40:** न्याय तक पहुंच की गारंटी — “हम किसी से न्याय न बेचेंगे, न नकारेंगे और न ही देर करेंगे।”

- **तत्काल परिणाम और पुनः जारी करना:** राजा जॉन ने शीघ्र ही पोप इनोसेंट तृतीय से इस चार्टर को रद्द करवाने की कोशिश की; सामंतों के साथ संघर्ष फिर शुरू हो गया।

- ▲ 1216 में जॉन की मृत्यु हुई; उनका नौ वर्षीय बेटा हेनरी III राजा बना।
- ▲ उसके संरक्षकों ने सामंतों के समर्थन के लिए मैग्ना कार्टा की पुष्टि की।
- ▲ 13वीं सदी में इस चार्टर को कई बार संशोधन के साथ पुनः जारी किया गया।

विरासत:

- **कानूनी परंपराओं को प्रेरणा:**
 - ▲ **यूके में:** बंदी प्रत्यक्षीकरण और मनमानी हिरासत के विरुद्ध अधिकारों की नींव।
 - ▲ **अमेरिका में:** अमेरिकी क्रांति और संविधान विकास पर प्रभाव — विशेष रूप से अधिकारों के विधेयक पर।
 - ▲ **प्रतीकात्मक मूल्य:** आधुनिक लोकतंत्र की एक नींव के रूप में देखा गया, भले ही मूल उद्देश्य ऐसा न रहा हो।
- **कानून का शासन स्थापित करना:** यह सिद्ध किया कि कोई भी, यहां तक कि राजा भी, कानून से ऊपर नहीं है।
 - ▲ राजा की शक्ति को कानूनी रूप से सीमित किया जा सकता है — राजनीतिक अधिकार में एक बुनियादी बदलाव।
- **कानूनी और संवैधानिक विरासत:** धारा 39 और 40 अभी भी यूके कानून का हिस्सा हैं, जो मनमाने क़ैद से रक्षा करती हैं।
 - ▲ निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
 - ▲ बिना देर या बिक्री के न्याय तक पहुंच।
 - ▲ बंदी प्रत्यक्षीकरण की नींव रखी।
 - ▲ संवैधानिक शासन और न्यायिक स्वतंत्रता की पूर्वपीठिका।

- नागरिक स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों का प्रतीक: हालांकि शुरुआत में केवल सामंती अभिजात वर्ग (सामंतों) को लाभ मिला, लेकिन समय के साथ यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्य के उत्पीड़न से सुरक्षा और जवाबदेह शासन की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करने लगा।
- वैश्विक न्याय का प्रतीक: इतिहास में सुधारवादियों और क्रांतिकारियों द्वारा निरंकुशता को चुनौती देने के लिए उपयोग किया गया।
 - ▲ अमेरिकी क्रांतिकारियों, संवैधानिकवादियों और वैश्विक मानवाधिकार समर्थकों द्वारा उद्धृता।

Source: IE


अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग परिसंचरण(AMOC)

सन्दर्भ

- हाल ही में एक जलवायु अध्ययन में पाया गया कि यदि अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग परिसंचरण(AMOC) ध्वस्त हो जाता है, तो यूरोप को एक अत्यधिक ठंडे और लंबे समय तक चलने वाले शीतकालीन मौसम का सामना करना पड़ सकता है, भले ही विश्व ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण उष्ण हो रही हो।

अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग परिसंचरण (AMOC) के बारे में

- यह पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाली सबसे शक्तिशाली और जटिल प्रणालियों में से एक है।
- इसे प्रायः एक विशाल कन्वेयर बेल्ट के रूप में वर्णित किया जाता है, जो उष्णकटिबंधीय से गर्म सतही जल को उत्तर की ओर ले जाती है और ठंडे, घने जल को गहराई में दक्षिण की ओर लौटाती है।
- यह अटलांटिक बेसिन में तापमान को नियंत्रित करता है और वैश्विक जलवायु स्थिरता, समुद्र-स्तर के पैटर्न एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



AMOC की कार्यप्रणाली

- AMOC वैश्विक थर्मोहेलाइन परिसंचरण का एक प्रमुख घटक है।
- उष्ण, लवणीय जल गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराओं के माध्यम से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है।
- जैसे ही यह उच्च अक्षांशों पर पहुंचता है, यह शीत होकर घना हो जाता है और गहरे समुद्र में डूबकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है।
- यह विश्व भर में गर्मी और पोषक तत्वों के वितरण में सहायता करता है और अमेज़न से आर्कटिक तक मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है।

AMOC का धीमा होना और टिपिंग पॉइंट

- हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि AMOC मध्य-20वीं सदी से काफी कमजोर हो गया है, और 2100 तक इसके 18–43% तक धीमा होने की संभावना है।
- इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, विशेष रूप से ग्रीनलैंड की बर्फ के पिघलने से आने वाला स्वच्छ जल, जो धाराओं को चलाने वाले लवणता और घनत्व के अंतर को बाधित करता है।
- AMOC एक ऐसे टिपिंग पॉइंट के निकट हो सकता है, जिसके पार होने पर इसका पतन अचानक और अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तनों को ट्रिगर कर सकता है।
 - ▲ AMOC के दो संभावित टिपिंग पॉइंट हैं — एक नमक परिवहन फीडबैक से जुड़ा और दूसरा गहरे महासागर संवहन से।

जलवायु टिपिंग पॉइंट्स

- ये पृथ्वी की प्रणालियों में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं — जिनके पार होने पर ये आत्म-प्रबलन प्रतिक्रिया चक्र शुरू कर देते हैं, जो अचानक, अपरिवर्तनीय और संभावित विनाशकारी बदलाव ला सकते हैं।
- ये तब होते हैं जब तापमान या दबाव में एक छोटा सा परिवर्तन किसी प्रणाली — जैसे हिम आच्छादित क्षेत्र, वर्षावन, या महासागरीय धाराएं — को पूरी तरह से नए स्वरूप में बदल देता है।

जोखिम में प्रमुख टिपिंग एलिमेंट्स

- हाल के आकलनों में कम से कम 16 प्रमुख पृथ्वी प्रणालियों की पहचान की गई है जो टिपिंग के प्रति संवेदनशील हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - ▲ ग्रीनलैंड और पश्चिम अंटार्कटिक हिम आच्छादन
 - ▲ अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)
 - ▲ अमेज़न वर्षावन पतन
 - ▲ आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट का पिघलना
 - ▲ कोरल रीफ का पतन

संभावित परिणाम

- यूरोप में, गर्म धाराएं इसके तटों तक न पहुंचने के कारण, वैश्विक तापमान बढ़ने के बावजूद ठंडी सर्दियां हो सकती हैं।
- पश्चिम अफ्रीका में मानसूनी पैटर्न बाधित हो सकते हैं, जिससे कृषि और जल सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- पूर्वी उत्तरी अमेरिका में समुद्र-स्तर में तेजी से वृद्धि हो सकती है।
- अमेज़न और दक्षिण एशिया में वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे सूखे की संभावना बढ़ सकती है।

महासागरीय धाराएं


- समुद्री जल परिसंचरण प्रणाली के क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर घटका।

प्रकार:

- ▲ सतही धाराएं: सतही परिसंचरण
- ▲ गहरे जल की धाराएं: थर्मोहैलाइन परिसंचरण

बल:

- ▲ प्राथमिक: सौर ताप, हवाएं, गुरुत्वाकर्षण, कोरिओलिस बल
- ▲ माध्यमिक: तापमान, लवणता और घनत्व में अंतर



ईरान-इजरायल तनाव के बीच तेल की कीमतों में वृद्धि

संदर्भ

- हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेज़ उछाल देखा गया है।

परिचय

- जून 2025 के मध्य में ईरान और इजराइल के बीच पुनः सैन्य संघर्ष ने ऊर्जा बाजारों में हलचल मचा दी।
 - 13 जून को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमतें लगभग 9% बढ़कर \$75.65 प्रति बैरल हो गईं, जो \$78.50 के शिखर पर पहुंचीं — यह विगत पांच महीनों की सबसे ऊंची दर थी।

तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण

- हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य की संवेदनशीलता:** हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है।
 - 2024 में इसके माध्यम से प्रति दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल का परिवहन हुआ, जो वैश्विक पेट्रोलियम तरल खपत का लगभग 20% है।
 - सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान जैसे देश अपने निर्यात के लिए इस मार्ग पर निर्भर हैं।
 - इसका अस्थायी बंद या व्यवधान भी शिपिंग में देरी और ऊर्जा लागत को बढ़ाता है।
- आपूर्ति श्रृंखला में संभावित विघटन:** पश्चिम एशिया में संघर्ष से स्वेज नहर और लाल सागर तक पहुंच में भी बाधा आ सकती है, जिससे वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रभावित होंगे तथा वैश्विक तेल व्यापार में लॉजिस्टिक एवं वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होंगी।
- जोखिम प्रीमियम:** बड़े पैमाने पर संघर्ष या नाकाबंदी की आशंका से अटकलों पर आधारित खरीदारी और तेल पर एक जोखिम प्रीमियम बढ़ जाता है, जिससे वास्तविक आपूर्ति प्रभावित हुए बिना ही कीमतें बढ़ जाती हैं।

भारत के लिए प्रभाव

- आयात लागत में वृद्धि:** भारत अपनी 80% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता का आयात करता है।
 - वैश्विक मूल्य वृद्धि से भारत का कुल आयात बिल बढ़ जाएगा।
- मुद्रास्फीति दबाव:** कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण पर पड़ सकता है, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ सकती है।
- आर्थिक वृद्धि और निवेश:** कीमतों में लगातार तेजी से कॉर्पोरेट लाभप्रदता घट सकती है और निजी क्षेत्र के निवेशों में देरी हो सकती है, विशेष रूप से ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में।

आगे का राह

- नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को तीव्र करें:** जीवाश्म ईंधनों पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करना।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करें:** अल्पकालिक आघातों से सुरक्षा के लिए।
- ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाएं:** गैस आयात, जैव ईंधन और विद्युत गतिशीलता को शामिल करते हुए।
- कूटनीतिक पहलें:** तनाव कम करने और तेल आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए।

निष्कर्ष

- ईरान-इजराइल के बीच जारी तनाव ने ऊर्जा सुरक्षा और मूल्य स्थिरता को लेकर वैश्विक चिंताओं को फिर से जीवित कर दिया है।
- भारत के लिए यह संघर्ष उसकी तेल आयात पर निर्भरता के कारण बाहरी झटकों के प्रति उच्च संवेदनशीलता की याद दिलाता है।
- हालांकि वर्तमान भंडार और विविधीकरण रणनीतियाँ कुछ सीमा तक लचीलापन प्रदान करती हैं, लेकिन यदि संघर्ष लंबा चलता है, तो इसके गंभीर आर्थिक एवं राजकोषीय परिणाम हो सकते हैं।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार

- भारत सरकार ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) नामक एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) की स्थापना की है, जिसकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चे तेल की है, जो तीन स्थानों पर स्थित हैं:
 - विशाखापत्तनम (1.33 MMT)
 - मंगलूरु (1.5 MMT)
 - पादुर (2.5 MMT)
- भारत सरकार ने 2021 में दो अतिरिक्त व्यावसायिक-सह-रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 6.5 MMT है:
 - चांदीखोल (4 MMT) — ओडिशा में
 - पादुर (2.5 MMT) — कर्नाटक में

Source: TH

विश्व शरणार्थी दिवस 2025

संदर्भ

- 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

परिचय

- यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर के शरणार्थियों का सम्मान करने के लिए नामित किया गया है।
- इसका प्रथम बार वैश्विक रूप से पालन 20 जून 2001 को किया गया था, 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में।
- पहले इसे अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2000 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया, तब इसका नाम बदल दिया गया।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक मिनट 20 लोग संघर्ष, उत्पीड़न या आतंक से बचने के लिए सब कुछ छोड़कर

भागते हैं, और विश्व शरणार्थी दिवस उनके संकट के प्रति सहानुभूति और समझ बढ़ाने का एक अवसर है।

- इस वर्ष की थीम है “शरणार्थियों के साथ एकजुटता”, जो लोगों से शब्दों से आगे जाकर जबरन विस्थापित लोगों के समर्थन में ठोस कदम उठाने का आह्वान करती है।

जबरन विस्थापन और प्रवासन से जुड़े प्रमुख शब्दावली


- शरणार्थी (Refugee):** 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार, वे व्यक्ति जो अपने मूल देश के बाहर रह रहे हैं और जिन्हें उत्पीड़न या अपने जीवन, शारीरिक सुरक्षा या स्वतंत्रता के गंभीर खतरे के कारण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - शरणार्थियों को मेज़बान देश में रहने की कानूनी अनुमति होती है और उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक लाभ मिल सकते हैं।
- आश्रय की खोज करने वाला व्यक्ति (Asylum seeker):** ऐसा व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की मांग कर रहा है।
 - जब तक मेज़बान देश द्वारा कानूनी स्थिति प्रदान नहीं की जाती, तब तक उन्हें शरणार्थी नहीं माना जाता।
 - सभी शरण की मांग करने वालों को शरणार्थी का दर्जा नहीं मिलता।
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (Internally displaced person):** ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष, हिंसा या आपदा से बचने के लिए अपने घर से भागने को मजबूर होता है और किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर ही रहता है।
- वापसी करने वाले (Returnees):** वे पूर्व शरणार्थी जो निर्वासन के बाद अपने देश या मूल क्षेत्र में लौटते हैं। उन्हें पुनर्निर्माण में सहायता के लिए निरंतर समर्थन और पुनर्वास सहायता की आवश्यकता होती है।

विस्थापन पर UNHCR के नवीनतम आंकड़े

- कुल संख्या:** 2024 के अंत तक, दुनिया भर में 123.2 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए थे।

- कारण: उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर व्यवधान।

People forcibly displaced worldwide | 2015 – 2024



- अप्रैल 2025 तक:** अनुमानित गिरावट — 122.1 मिलियन, यानी 1% की कमी।
 - यह एक दशक में प्रथम बार गिरावट दर्शाता है।
- शरणार्थियों की वापसी:** विगत वर्ष 1.6 मिलियन शरणार्थी अपने देशों में लौटे।
 - इनमें से 92% केवल चार देशों — अफगानिस्तान, सीरिया, दक्षिण सूडान और यूक्रेन — में हुए।
- 2025 की संभावनाएं:** विस्थापन की प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से इन कारकों पर निर्भर करेंगी:
 - डी.आर. कांगो, सूडान, यूक्रेन में शांति या संघर्षविराम की संभावनाएं
 - दक्षिण सूडान में स्थिरता बनाए रखना
 - अफगानिस्तान और सीरिया में वापसी के लिए बेहतर परिस्थितियाँ
 - मानवीय अभियानों के लिए फंडिंग कटौती का प्रभाव और सुरक्षित व गरिमामय वापसी के वातावरण तैयार करने की क्षमता
- इसका मुख्य सिद्धांत “गैर-निर्वासन (non-refoulement)” है — किसी शरणार्थी को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहाँ उसे जीवन या स्वतंत्रता के गंभीर खतरे का सामना करना पड़े।
 - हालाँकि, यह सुरक्षा उन शरणार्थियों को नहीं मिलती जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं या गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए हैं।
- 1951 कन्वेंशन में शामिल प्रमुख अधिकार:**
 - अनुचित स्थितियों को छोड़कर निष्कासन नहीं किया जाना
 - अवैध प्रवेश के लिए दंडित न किया जाना
 - कार्य करने का अधिकार
 - आवास का अधिकार
 - शिक्षा का अधिकार
 - सार्वजनिक राहत और सहायता प्राप्त करने का अधिकार
 - धर्म की स्वतंत्रता
 - न्यायालयों तक पहुँच का अधिकार
 - देश के अन्दर आने-जाने की स्वतंत्रता
 - पहचान और यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार
- जैसे-जैसे कोई शरणार्थी मेज़बान देश में अधिक समय**

1951 शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल

- 1951 का कन्वेंशन शरणार्थियों के अधिकारों और मेज़बान देशों के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

बिताता है, वैसे-वैसे उसे अधिक अधिकार मिलते हैं — यह मान्यता के आधार पर होता है कि लम्बे समय तक निर्वासन में रहने वालों को अधिक अधिकारों की आवश्यकता होती है।

- भारत की शरणार्थियों पर नीति भारत ने अतीत में शरणार्थियों का स्वागत किया है — करीब 3 लाख लोग शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत हैं।
 - ▲ इसमें तिब्बती, बांग्लादेश से चकमा समुदाय और अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि से आए शरणार्थी शामिल हैं।
- हालाँकि, भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन या 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, और भारत की कोई औपचारिक शरणार्थी नीति या कानून नहीं है।
- सभी विदेशी अप्रलेखित नागरिक भारत में इन अधिनियमों के अंतर्गत शासित होते हैं:
 - ▲ विदेशी अधिनियम, 1946
 - ▲ विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939
 - ▲ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
 - ▲ नागरिकता अधिनियम, 1955
- गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, जो विदेशी नागरिक वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है।

Source: AIR

भारत में शराब नियंत्रण पर पुनर्विचार

समाचार में

- भारत ने हेवी एपिसोडिक शराब सेवन की दरों में विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक दर्ज की है, जहाँ लाखों लोगों को नैदानिक और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है।

वर्तमान स्थिति

- शराब और मादक पेयों में एथेनॉल होता है, जो एक मनो-सक्रिय और विषैला पदार्थ है तथा लत उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है।

▲ हालाँकि शराब का उपयोग कई संस्कृतियों में सदियों से होता आया है, यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और हानियों से जुड़ा है।

- शराब सेवन के लिए सुरक्षित स्तर शून्य है, फिर भी NFHS-5 के अनुसार 23% भारतीय पुरुष और 1% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं।

सेवन के कारण

- शराब सेवन एक जटिल जैव-मनो-सामाजिक, व्यापारिक और नीतिगत कारणों से प्रेरित होता है।
- जैविक रूप से, कुछ लोग आनुवंशिक रूप से लत के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से, तनाव से राहत, साथियों का दबाव, और मीडिया में शराब का सामान्यीकरण इसे प्रेरित करता है।
- व्यवसायिक रूप से, उद्योग विभिन्न उत्पादों, सरोगेट विज्ञापन, प्रचार और रणनीतिक प्रचार के माध्यम से युवाओं तथा नए उपभोक्ताओं को लक्षित करता है, जिसे सोशल मीडिया और बढ़ावा देता है।
- शराब की आसान उपलब्धता, आकर्षक पैकेजिंग, और किफायती मूल्य निर्धारण से यह ग्रामीण निम्न-आय वर्ग एवं शहरी मध्यम वर्ग दोनों के लिए सुलभ हो जाता है।
- नीतिगत रूप से, शराब उद्योग नियमन में प्रभावी भूमिका निभाता है, अपने राजस्व योगदान को उजागर कर सख्त कानूनों का विरोध करता है और गुप्त विपणन रणनीतियों के माध्यम से विज्ञापन प्रतिबंधों को दरकिनार करता है।

शराब सेवन के प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** शराब सेवन से चोटों, मानसिक रोग, गैर-संक्रामक रोगों (जैसे कैंसर) का खतरा बढ़ता है, और यह आक्रामकता, अपराध, आत्महत्याओं और जोखिमपूर्ण व्यवहार से जुड़ा होता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** यद्यपि राज्य आबकारी शुल्क (~₹2.5 लाख करोड़ प्रतिवर्ष) से भारी आय अर्जित करते हैं, NITI आयोग के अनुसार इससे जुड़ी सामाजिक लागत इससे अधिक है।

- ▲ कार्यस्थल अनुपस्थिति, रोजगार की हानि, और उत्पादकता में कमी इसके प्रमुख परिणाम हैं।
- **सामाजिक प्रभाव:** NCRB रिपोर्टों में शराब सेवन और घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, और बाल उपेक्षा के बीच उच्च संबंध पाया गया है।
- ▲ आसान उपलब्धता, साथियों का दबाव, और सोशल मीडिया पर शराब का महिमामंडन विशेष रूप से महानगरों में किशोरों में सेवन की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है।

नियमन की स्थिति

- भारत में शराब का नियमन राज्य क्षेत्राधिकार में आता है, जिससे प्रत्येक राज्य को कानून, आबकारी कर, आपूर्ति श्रृंखला, लाइसेंसिंग, निर्माण, बिक्री एवं खपत प्रतिबंधों, निषेध और मूल्य निर्धारण पर अधिकार प्राप्त है।
- कुछ राज्य जैसे बिहार, गुजरात, मिज़ोरम और नागालैंड शराब पर निषेध लागू करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्य पारंपरिक पेयों का प्रचार कर तथा कीमतों को सुलभ बनाकर शराब बिक्री को बढ़ावा देते हैं।

विभिन्न नीतियाँ

- भारत की 2012 की नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ नीति में शुरुआत में शराब को शामिल नहीं किया गया था, पर इसे 2021-22 के नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (NMHP) 2014 ने शराब को मानसिक रोग एवं आत्महत्या रोकथाम के कारक के रूप में पहचाना और एक विशिष्ट कार्य योजना की आवश्यकता बताई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 में शराब सेवन को नियंत्रित करने के लिए अधिक कर लगाने का सुझाव दिया गया।
- राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS) 2022 ने शराब को आत्महत्या का प्रमुख जोखिम कारक माना और इसके लिए एक राष्ट्रीय शराब नियंत्रण नीति एवं उपलब्धता सीमित करने के उपायों की अनुशंसा की।

- गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना और निगरानी ढांचा (NMAP) 2017-2022 ने भी राष्ट्रीय शराब नीति की आवश्यकता को दोहराया।

मुद्दे और चिंताएं

- राष्ट्रीय नीतियाँ नशे में गाड़ी चलाना या आपूर्ति श्रृंखला नियमन जैसे विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देती हैं, लेकिन भारत के पास अभी तक एक समग्र, एकीकृत राष्ट्रीय शराब नियमन नीति नहीं है।
- शराब की मांग और आपूर्ति को कम करने के प्रयास विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के बीच बिखरे हुए हैं।
- GST अधिनियम शराब को बिक्री कर से बाहर करता है, जिससे शराब कराधान पूरी तरह राज्यों के अधीन हो जाता है, और यह प्रायः अस्पष्ट आबकारी नीतियों पर आधारित होता है।

सुझाव और आगे की राह

- भारत में शराब को नियंत्रित करना आवश्यक लेकिन जटिल है क्योंकि यह राज्यीय राजस्व, सामाजिक मानदंडों और राजनीति से जुड़ा है।
- एक समग्र, साक्ष्य-आधारित और न्यायसंगत प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- **प्रमुख उपायों में शामिल हैं:**
 - ▲ शराब का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि दुरुपयोग रोका जा सके, लेकिन अवैध शराब को बढ़ावा न मिले; स्वास्थ्य करों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निर्धारित करना।
 - ▲ दैनिक जीवन में शराब की उपलब्धता सीमित करना।
 - ▲ डिजिटल और सोशल मीडिया विज्ञापन का नियमन करना, साधारण पैकेजिंग और चेतावनी लेबल लागू करना।
 - ▲ शराब से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना, और AI का उपयोग करके ऑनलाइन शराब-संबंधी सामग्री और भ्रामक जानकारी को नियंत्रित करना।

- एक एकीकृत राष्ट्रीय शराब नियंत्रण नीति आवश्यक है ताकि लाभ के स्थान पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सके और दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने के लिए ASI अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा

संदर्भ

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) अगस्त में सिंधु लिपि को समझने के तरीकों पर एक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विचार-मंथन सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

परिचय

- सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा में हुई थी और इसे 1924 में तत्कालीन ASI महानिदेशक जॉन मार्शल द्वारा औपचारिक रूप से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सिंधु लिपि

- 1931 में मोहनजोदड़ो की खुदाई पर प्रकाशित प्रथम आधिकारिक रिपोर्ट में 'सिंधु लिपि' पर एक अनुभाग था।
 - ▲ यह लिपि पुरातत्वविदों, शिलालेख विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं के लिए वर्षों से आकर्षण और उत्सुकता का विषय रही है, जिन्होंने इसे सुलझाने के ईमानदार प्रयास किए हैं।



यह कहाँ संरक्षित है?

- ▲ इस लिपि के अधिकांश उदाहरण हड़प्पाई मुद्राओं और उनकी छापों पर पाए गए हैं।
- ▲ अन्य वस्तुएँ जिन पर यह लिपि मिली है — धातु और मृत्तिका की पट्टिकाएँ, तांबे की वस्तुएँ, मृद्भांड (पॉटरी) आदि।

लिपि की प्रकृति

- ▲ यह लिपि संकेतों और प्रतीकों से बनी है, जिनमें से कई मानव, पशु, पौधों या औजारों के आकार जैसे प्रतीत होते हैं।
- ▲ अधिकांश अभिलेख बहुत छोटे होते हैं — सामान्यतः 4-5 संकेतों के — जबकि सबसे लंबा लगभग 26 चिह्नों का है।

पढ़ने के प्रयास

- कंप्यूटर विश्लेषण, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, और आवृत्ति विश्लेषण जैसे विभिन्न तरीकों से लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया है।
- हालांकि, एक द्वैभाषिक शिलालेख (जैसे रोसेट्टा स्टोन) के अभाव में, पढ़ना अत्यंत कठिन बना हुआ है।
- अब तक ऐसे कोई द्वैभाषिक अभिलेख नहीं मिले हैं जो कम से कम दो वाक्यों तक चलते हों, इसलिए पुरातत्वविद् कोई निश्चित दावा करने से बचते हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

- ASI देश की सांस्कृतिक धरोहरों के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण हेतु संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्था है।
- राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, स्थलों और अवशेषों के रख-रखाव की जिम्मेदारी ASI की है।
- भारत में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत नियंत्रित करता है।
 - ▲ साथ ही, प्राचीन वस्तु एवं कलात्मक खजाना अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भी यह नियमन करता है।

Source: TH

सीन नदी

संदर्भ

- पेरिस एक भूमिगत शीतलन प्रणाली का उपयोग कर रहा है जो सीन नदी के जल का उपयोग करके 800 से अधिक इमारतों को शीत करती है।

परिचय

- उद्गम:** सीन नदी का उद्गम फ्रांस के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लैंग्रेस पठार से होता है।
- लंबाई:** लगभग 777 किलोमीटर लंबी है।
- मुख्य सहायक नदियाँ:** ऑब, मार्न, यॉन, ओआज़ और यूर नदियाँ।
- नौपरिवहनीयता:** यह नदी लगभग 560 किलोमीटर तक नौपरिवहन योग्य है, जिससे व्यावसायिक और मनोरंजन संबंधी जल परिवहन संभव होता है।
 - पेरिस में सीन नदी के तटों को वर्ष 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

Source: TH

भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज(NIXI)

समाचार में

- नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने हाल ही में 20 वर्ष पूरे किए हैं।

परिचय

- NIXI एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे 2003 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- NIXI ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि भारत का इंटरनेट स्थानीय स्तर पर रूट हो, प्रदर्शन में मजबूत हो और भविष्य की माँगों के लिए तैयार हो।
- वर्तमान में यह देश भर में 77 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स (IXPs) का संचालन करता है, जो घरेलू ट्रैफ़िक को भारत की सीमाओं के अंदर बनाए रखते हैं — इससे विलंबता कम होती है, गति बढ़ती है और सुरक्षा बेहतर होती है।

- अपने IRINN प्रभाग के माध्यम से, यह भारत को IPv6 में संक्रमण के मार्गदर्शन में सहायता कर रहा है, जो कि कनेक्टेड डिवाइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में अत्यंत आवश्यक होगा।

भूमिका एवं महत्त्व

- भारत की तीव्रता से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के पीछे NIXI एक मौन स्तंभ की तरह कार्य करता है — किराना स्टोर पर यूपीआई से लेकर जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल कक्षाओं तक।
- यह भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को मजबूती प्रदान करता है।
- यह डिजिटल इंडिया, भाषिणी और स्थानीयकृत इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र जैसे लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।

Source: DD News

शंघाई सहयोग संगठन

संदर्भ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- शंघाई फाइव (Shanghai Five) 1996 में पूर्व सोवियत संघ के चार गणराज्यों और चीन के बीच सीमा निर्धारण और सेना हटाने पर हुई वार्ताओं की श्रृंखला से उभरा था।
 - सदस्य:** कज़ाख़स्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
 - 2001 में उज़्बेकिस्तान के इस समूह में शामिल होने के साथ ही शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO रख दिया गया।
- उद्देश्य:** मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- सदस्य देश:** चीन, रूस, भारत (2017), पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और मध्य एशिया के चार देश — कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान।

- **प्रेक्षक स्थिति:** अफ़ग़ानिस्तान और मंगोलिया।
- **भाषा:** SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं — रूसी और चीनी।
- **संरचना:** SCO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (*Council of Heads of States - CHS*), जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है।
- इस संगठन की दो स्थायी संस्थाएं हैं —
- सचिवालय (बीजिंग में)
- क्षेत्रीय आतंकवाद-निरोधक संरचना की कार्यकारी समिति (*RATS*) (ताशकंद में)

Source: TH

त्वचा रोगों पर ऐतिहासिक संकल्प क्या है?

समाचार में

- विश्व स्वास्थ्य सभा (*World Health Assembly*) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें चर्म रोगों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया गया है।

चर्म रोगों पर प्रस्ताव

- चर्म रोगों में वे सभी स्थितियाँ शामिल होती हैं जो त्वचा को उत्तेजित करती हैं, बंद करती हैं या हानि पहुँचाती हैं, साथ ही त्वचा कैंसर भी इसमें शामिल है।
- ये सबसे अधिक दृश्य स्वास्थ्य स्थितियों में से एक हैं, और प्रायः कलंक, भेदभाव, और मानसिक तनाव का कारण बनती हैं।
- इनका प्रभाव विश्व स्तर पर 1.9 अरब लोगों पर होता है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (*LMICs*) में।
- अब इन्हें इनके गहरे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभावों के लिए मान्यता दी जा रही है।

प्रस्ताव की विशेषताएँ

- यह प्रस्ताव कोट डी'वोआर, नाइजीरिया, टोगो, माइक्रोनेशिया और अन्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से

प्रस्तुत किया गया था, और इसे इंटरनेशनल लीग ऑफ़ डर्मेटोलॉजिक सोसाइटीज (*ILDS*) — विश्व का सबसे बड़ा त्वचा रोग संगठनों का गठबंधन — का समर्थन प्राप्त है।

- यह चर्म रोगों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।
- यह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि जागरूकता की कमी, निगरानी प्रणाली की कमजोरी, और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण की सीमाएँ उपस्थित हैं — जबकि अधिकांश चर्म रोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर उचित सहायता से प्रबंधनीय होते हैं।
- यह प्रस्ताव त्वचा स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंडों में शामिल करने, वित्त पोषण में सुधार, प्राथमिक स्तर की त्वचाविज्ञान सेवा को मजबूत करने, और कलंक के विरुद्ध लड़ने का आह्वान करता है।
- यह वित्त व्यवस्था, निदान, दवा की उपलब्धता, अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ एकीकरण, और अनुसंधान को बेहतर बनाने हेतु समन्वित राष्ट्रीय कार्यवाही की अपील करता है।

Source: TH

रिवर्स फ्लिपिंग

संदर्भ

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने कारोबार में सुगमता और रिवर्स फ्लिपिंग समर्थन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सुधारों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी है।

रिवर्स फ्लिपिंग क्या है?

- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और कॉरपोरेट संरचना में रिवर्स फ्लिपिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें कोई भारतीय स्टार्टअप या कंपनी अपना पंजीकरण फिर से भारत में स्थानांतरित करती है — अर्थात् पहले की "फ्लिपिंग" प्रक्रिया को उल्टा किया जाता है।

यह कैसे कार्य करता है?

- विदेशी मूल कंपनी, स्वामित्व, संपत्ति या नियंत्रण भारतीय इकाई को हस्तांतरित करती है।
- भारतीय सहायक कंपनी (जो पहले केवल परिचालन शाखा थी) अब मुख्य होल्डिंग कंपनी बन जाती है।
- इसमें बौद्धिक संपदा (IP), डेटा और प्रमुख कार्यों को भारत में स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है।

स्टार्टअप शुरू में फ्लिप क्यों करते हैं?

- प्रारंभिक चरण में, कई भारतीय स्टार्टअप विदेशी क्षेत्रों में “फ्लिप” करते हैं क्योंकि:
 - वैश्विक वेंचर कैपिटल तक आसान पहुँच।
 - स्टॉक विकल्प, वित्तपोषण या अधिग्रहण से जुड़ी सरल नियमावली।
 - अनुकूल कर व्यवस्था।
 - विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग की सुविधा।

रिवर्स फ्लिपिंग का महत्व

- यह भारत की आर्थिक और नियामक प्रणाली पर विश्वास को दर्शाता है।
- यह आत्मनिर्भर भारत, कारोबार में सुगमता और पूंजी बाजार सुधारों जैसे व्यापक लक्ष्यों से जुड़ा है।
- यह नवाचार, रोजगार सृजन, और घरेलू पूंजी के दोहन के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: BS

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक(ETI)

समाचार में

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI) 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो 2024 की 63वीं रैंक से नीचे है।

मुख्य निष्कर्ष

- ETI में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे का स्थान रहा।
- चीन ने “उभरता एशिया (Emerging Asia)” श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

ETI के बारे में

- ETI एक उपकरण है जिसे विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने विकसित किया है — यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था है जो सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए 1971 में स्थापित की गई थी।
- इसका उद्देश्य देशों की ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) की वार्षिक प्रगति को मापना है।
- ऊर्जा परिवर्तन का अर्थ है — कोयले जैसे उच्च कार्बन उत्सर्जक ईंधनों से सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित होना।
- यह सूचकांक विभिन्न वैश्विक डेटा स्रोतों से प्राप्त 43 संकेतकों पर आधारित होता है।

Source: DTE

एक्सट्रीम हीलियम (EHe) स्टार्स

समाचार में

- भारतीय खगोलविदों ने सिंगली-आयोनाइज्ड जर्मेनियम (Ge II) की खोज एक दुर्लभ प्रकार के तारे — एक्सट्रीम हीलियम (EHe) स्टार, विशेष रूप से तारे A980 में की है।

एक्सट्रीम हीलियम (EHe) स्टार्स क्या हैं?

- EHe तारे ऐसे दुर्लभ तारे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन की अत्यधिक कमी होती है और ये मुख्य रूप से हीलियम से बने होते हैं, जिनमें अन्य तत्वों की अत्यल्प मात्रा पाई जाती है।
- अब तक केवल कुछ दर्जन ऐसे तारे खोजे गए हैं। सबसे स्वीकृत गठन सिद्धांत के अनुसार, ये तारे दो श्वेत बौनों (white dwarfs) के विलय से बनते हैं: एक हीलियम-समृद्ध और दूसरा कार्बन-ऑक्सीजन-समृद्ध। EHe तारे शीतल तापमान और कम गुरुत्व वाले होते हैं और इनमें सामान्य तारकीय रासायनिक संरचनाएं नहीं पाई जातीं।

जर्मेनियम की खोज का महत्व

- जर्मेनियम एक भारी तत्व है जो s-प्रक्रिया (धीमी न्यूट्रॉन पकड़ प्रक्रिया) के माध्यम से बनता है — यह प्रक्रिया

तारकीय विकास के असिमोटॉटिक विशाल शाखा (AGB) चरण में सामान्य होती है।

- Ge की उपस्थिति यह संकेत देती है कि यह तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस के दौरान पहले ही निर्मित हो चुका था, संभवतः श्वेत बौनों के विलय से पहले।

Source: PIB

ऑपरेशन सिंधु

संदर्भ

- ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना है।

ऑपरेशन के बारे में

- यह अभियान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा शुरू किया गया है।
- भारतीय नागरिकों को उत्तर ईरान से आर्मेनिया ले जाया गया और वहाँ से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से विशेष विमान द्वारा नई दिल्ली लाया गया।
- भारत सुरक्षित और खुले हवाई गलियारों का उपयोग

कर रहा है और क्षेत्रीय राजनयिक माध्यमों के जरिये लॉजिस्टिक समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है।

- ऑपरेशन के नियोजित विस्तार के अंतर्गत, इजराइल में उपस्थित भारतीय नागरिकों को स्थलीय सीमाओं के माध्यम से निकाला जाएगा, जिसके बाद निकटवर्ती देशों से हवाई मार्ग से भारत लाया जाएगा, क्योंकि इजराइल के हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन स्थगित है।

भारत के अन्य नागरिक निकासी मिशन

मिशन का नाम	संदर्भ	वर्ष
वंदे भारत मिशन	कोविड-19 वैश्विक प्रत्यावर्तन	2020
ऑपरेशन देवी शक्ति	अफ़ग़ानिस्तान शासन का पतन	2021
ऑपरेशन गंगा	रूस-यूक्रेन संघर्ष	2022
ऑपरेशन कावेरी	सूडान गृह युद्ध	2023
ऑपरेशन अजय	इजराइल-हमास संघर्ष	2023
ऑपरेशन सिन्धु	ईरान संघर्ष में वृद्धि	2025

Source: AIR